माननीय न्यायाधीश मेहताब एस. गिल और माननीय न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मासिह के समक्ष

डॉ राज कुमार सिंधु - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

2006* की सीडब्ल्यूपी संख्या *5021
16* अक्टूबर *2008

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *226*-सरकार, बी.वी.एससी/ए.एच. की डिग्री वाले के संशोधित वेतनमान को सीमित करना और पशु चिकित्सा विज्ञान या पशुपालन में डिग्री वालों को इससे बाहर रखा जाएगा - समान पद वाले व्यक्तियों द्वारा चुनौती - उच्च न्यायालय ने सरकार की कार्रवाई को मनमाना माना और समान वेतनमान देने का आदेश दिया - प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को समान पद वाला व्यक्ति माना- याचिका में याचिकाकर्ता को उसी लाभ का हकदार माना गया जो की अन्य समान पद वाले व्यक्तियों के लिए दिया गया था।

अभिनिर्धारित, की याचिकाकर्ता की स्थिति श्री सुखबीर सिंह मेहला और श्री सुभाष चंदर शर्मा के समान है, जो 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 933 में याचिकाकर्ता थे और जिसे इस न्यायालय ने 12 जुलाई, 1999 के आदेश के तहत अनुमति दी थी। एकमात्र तर्क यह दिया गया प्रतिवादियों द्वारा, की याचिकाकर्ता को 2200-4000 का वेतनमान नहीं दिया क्यूँकि याचिकाकर्ता को जिला डेयरी विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था, हालांकि, उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि श्री सुखबीर सिंह महला और श्री सुभाष चंदर शर्मा, जिन्हें भी याचिकाकर्ताओं की तरह जिला डेयरी विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है पर उन्हें न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला डेयरी विकास अधिकारी के पद का लाभ मिल रहा है। यह अजीब लग सकता है कि जबकि उत्तरदाता स्वीकार कर रहे हैं कि यह याचिकाकर्ता, 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 933 में याचिकाकर्ताओं के समान ही स्थित है, फिर भी उत्तरदाता, याचिकाकर्ताओं को उसी लाभ के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो की 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 933 के याचिकाकर्ताओं को दिया गया है। 1987 के

सीडब्ल्यूपी नंबर 933 का। चूंकि याचिकाकर्ता को पहले से ही 2200-4000 रुपये का वेतनमान मिल रहा था, उनकी योग्यता के अनुसार, तो 1987 के सीडब्ल्यूपी संख्या 933 के याचिकाकर्ताओं को दी गई समान राहत के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण या अवसर नहीं था। याचिकाकर्ता ने अब इस न्यायालय के समक्ष आए हैं जब उत्तरदाताओं द्वारा इस पैमाने को वापस ले लिया गया है।याचिकाकर्ता को उसी तरह समान रखा गया है जैसा उत्तरदाताओं ने पैरा 18 और 19 के उत्तर में स्वीकार किया था, इसलिए, याचिकाकर्ता भी उसी लाभ का हकदार है जो समान रूप से स्थित अन्य कर्मचारियों को दिया गया है।

(पैरा 18 और 19)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील अलका चतरथ।
हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.

(1) इस याचिका में, याचिकाकर्ता *26* जुलाई, *1999* के आदेश *(*अनुलग्नक पी-*11)* को रद्द करने की प्रार्थना कर रहा है, जिसमें याचिकाकर्ता के *10000- 13900* रुपये के वेतनमान, जो कि पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद जिला डेयरी विकास अधिकारी को मिलता हैं, उसे देने के दावे को खारिज कर दिया गया था। निदेशक, पशुपालन और डेयरी, हरियाणा-प्रतिवादी संख्या *2* , द्वारा पारित आदेश दिनांक *17* मई, *2005 (*अनुलग्नक पी-*20)* को रद्द करने की भी माँग की हैं । और आदेश दिनांक *8* सितंबर, *2005 (*अनुलग्नक पी-*17)* और आदेश दिनांक *6* अक्टूबर, *2005 (*अनुलग्नक पी-*19)* जो कि पारित किए हैं, उप निदेशक, गहन पशु विकास परियोजना, सफीदों रोड, ,जींद, द्वारा को भी रद्द करने की भी माँग की हैं, जिसमें *8000- 13500* रुपये का पैमाना वापस लिया गया हैं जो *10* जनवरी, *1996* से लागू हैं और *6500--10500* रुपये के वेतनमान में याचिकाकर्ता का वेतन तय किया गया जो *10* जनवरी *1996* से प्रभावी किया गया ।

(2) याचिकाकर्ता का तर्क है कि 23 अप्रैल, 1991 को याचिकाकर्ता को डिमॉन्स्ट्रेटर एचवीएस क्लास- II, डेयरी विकास विभाग, हरियाणा के रूप में नियुक्त किया गया था, वो भी 2000-3500 रुपये के वेतनमान में। प्रदर्शक एवं जिला डेयरी विकास अधिकारी का पद हरियाणा डेयरी विकास (ग्रुप बी) सेवा नियम, 1996 द्वारा शासित होते हैं। उक्त नियमों के अनुसार, परियोजना अधिकारी और जिला डेयरी विकास अधिकारी का पद 50% के अनुपात में सीधी भर्ती और स्थानांतरण से भरा जाना है। शेष 50% पांच साल के अनुभव वाले प्रदर्शनकारियों

की पदोन्नति द्वारा भरा जाना हैं । वर्ष 1996 में इन नियमों के लागू होने से पहले, कार्यकारी निर्देश दायर किए गए थे और तदनुसार सभी नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ की गईं। श्री सुखबीर सिंह मेहला और श्री सुभाष चंदर शर्मा, जो क्रमशः 25 जनवरी, 1983 और 4 फरवरी, 1983 से डिमॉन्स्ट्रेटर एचवीएस-II के पद पर कार्यरत थे, और डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में अपने पांच साल पूरे करने पर, जिला डेयरी विकास अधिकारियों के पद के लिए पदोन्नति के पात्र बन बाई और तदनुसार, रिक्त पड़े पदों पर पदोन्नति के लिए अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। हरियाणा सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के वित्तीय आयुक्त और सचिव-प्रतिवादी नंबर 1, ने 24 जून, 1992 को एक आदेश पारित कर श्री सुखबीर सिंह मेहला को सहायक निदेशक और श्री सुभाष चंदर शर्मा को, जिला डेयरी विकास अधिकारी के पद पर स्थानांतरित/तैनाती कर दी।

(3) याचिकाकर्ता को पता चला कि हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट एंड को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में कार्यरत कुछ अधिकारी, जिनकी बी.वी. एससी और ए.एच. की योग्यता हैं, जिला डेयरी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया था, उन्हें जिला डेयरी अधिकारी के वरिष्ठ पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था और उन्हें अंततः उक्त कैडर में समाहित किए जाने की संभावना थी, इसीलिए उन्होंने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया था कि इस तरह के अवशोषण के मामले में, उन्हें कनिष्ठ बना दिया जाएगा इसलिए, अवशोषण के लिए प्रतिनियुक्तिवादियों के मामले पर विचार करने से पहले उन पर और वरिष्ठ पद के खिलाफ उनके दावे पर विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के अनुसार, याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया और उसे 27 अप्रैल, 1994 को जिला डेयरी अधिकारी, नारनौल के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया।

(4) प्रतिवादी नंबर 1 ने 10 जनवरी, 1996 के आदेश द्वारा जिला डेयरी विकास अधिकारी के वेतनमान को संशोधित किया, जिसके पास बी.वी.एससी और ए.एच. डिग्री की योग्यता थी, तत्काल प्रभाव से रु 2,000- 3,500 से रु. 2,200-4,000 रुपये के साथ 3,000- 4,500 के चयन ग्रेड, पांच साल की नियमित संतोषजनक सेवा होने पर और आगे फिर 12 वर्षों की संतोषजनक नियमित सेवा के बाद चयन ग्रेड के रूप में 4,100-5,300 का वेतनमान दिया जाएगा, 20% तक सीमित कैडर पदों को। याचिकाकर्ता, जो हरियाणा डेयरी विकास विभाग में जिला डेयरी विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, उन्हें 2,200-4,000 रुपये का वेतनमान नहीं दिया गया था, हालांकि उनके पास बी.वी.एससी और ए.एच. डिग्री की योग्यता थी, और उन्होंने उक्त संशोधित वेतनमान के अनुदान के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को 5 अगस्त, 1996 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के

प्रतिनिधित्व पर विचार करने पर, दुग्ध आयुक्त और निदेशक, डेयरी विकास, हरियाणा ने 5 अगस्त, 1997 को आदेश पारित किया (अनुलग्नक पी -8), जिसमें याचिकाकर्ता को 2,200 4,000 रुपये का वेतनमान प्रदान किया गया, 10 जनवरी 1996 के सरकारी पत्र के अनुसार, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है।

(5) इसके बाद, डेयरी विकास विभाग के कुछ समान रूप से तैनात जिला डेयरी विकास अधिकारियों ने, 2200-4000 रुपये के संशोधित पैमाने को केवल उन जिला विकास अधिकारियों के लिए जिनके पास बी.वी.एससी. और ए.एच की डिग्री हो, सीमित करने पर, उत्तरदाताओं की इस कार्रवाई को चुनौती दी। और उन अधिकारियों को, जिनके पास डेयरी विज्ञान या पशु विज्ञान में डिग्री है , उन्हें इस संशोधित पैमाने से बाहर कर दिया, 1987 की सीडब्ल्यूपी नंबर 933, दाखिल करने के माध्यम से जिसका शीर्षक एस.पी. सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य था । इस रिट याचिका को इस न्यायालय ने 12 जुलाई, 1999 के आदेश के तहत यह कहते हुए अनुमति दे दी थी कि सरकार संशोधित वेतनमान देते समय, जिला डेयरी विकास अधिकारियों, जिनके पास पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की डिग्री है, उन तक ही इसको सीमित रखकर यह भेदभाव नहीं कर सकती है और केवल इस शर्त, इतनी सीमा तक, को इस प्रकार से रद्द कर दिया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि उस रिट याचिका में याचिकाकर्ता और अन्य सभी जिला डेयरी विकास अधिकारी, जिनके पास बी.वी.एससी. और ए.एच. की डिग्री थी, उनको संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता की दलील है कि इस न्यायालय द्वारा पारित 12 जुलाई, 1999 के फैसले के अनुसार, श्री सुखबीर सिंह मेहला और श्री सुभाष चंदर शर्मा, जो याचिकाकर्ता के जैसे समान स्थिति में थे, को 2,200 4,000 रुपये का वेतनमान, 10 जनवरी, 1996 से, दिया गया था। और उसके बाद, 3,000-4,500 रुपये का वेतनमान, 6 जुलाई, 1997 से प्रभावी, यानी नियमित सेवा के पांच साल पूरे होने के बाद दिया गया था। 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 933 में याचिकाकर्ताओं के अलावा, अन्य समान स्थिति वाले व्यक्ति भी थे जिन्हें पांच वर्ष की अवधि की सेवा पूरी होने के बाद 3,000-4,500 रुपये का वेतनमान दिया गया, जिला डेयरी विकास अधिकारी के रूप में।

(6) याचिकाकर्ता को यह वेतनमान नहीं दिया गया और इसलिए, उसने अपने पांच साल पूरे होने पर , 3,000-4,500 रुपये का वेतनमान देने के लिए विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। दुग्ध आयुक्त-सह-निदेशक, डेयरी विकास, हरियाणा ने याचिकाकर्ता के उक्त दावे को 26 जुलाई, 1999 के आदेश के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया कि वेतनमान केवल उन जिला डेयरी विकास अधिकारियों को दिया गया है, जो नियमित पद पर कार्यरत थे। याचिकाकर्ता ने 2000 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6451 दायर करके उत्तरदाताओं की उक्त कार्रवाई को

चुनौती दी। उन्होंने जिला डेयरी विकास अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने की प्रार्थना की। उक्त रिट याचिका अंतिम निर्णय के लिए इस न्यायालय में स्वीकार की जाती है।

(7) हरियाणा सरकार ने 14 मई, 2003 को अधिसूचना जारी कर हरियाणा डेयरी विकास विभाग को उसके कर्मचारियों, पदों सहित, कार्यक्रम, योजनाएं, संपत्तियां और देनदारियां और बुनियादी ढांचा, को पशुपालन विभाग, हरियाणा से विलय कर दिया, तत्काल प्रभाव से। उक्त अधिसूचना के अनुसरण में, निदेशक, पशुपालन, हरियाणा ने अपने आदेश दिनांक 5 जून, 2003 द्वारा, याचिकाकर्ता को प्रिंसिपल, हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, हिसार के तहत जींद में उस पद के साथ तैनात किया गया जिस पर याचिकाकर्ता काम कर रहा था यानी जिला डेयरी विकास अधिकारी। इसी प्रकार श्री सुखबीर सिंह मेहला और श्री सुभाष चंद्र शर्मा को हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, हिसार में तैनात किया गया था। निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विकास, हरियाणा ने अपने आदेश दिनांक 17 मई, 2005 द्वारा उप निदेशक गहन पशु विकास परियोजना, सफीदों रोड, जींद को सूचित किया कि याचिकाकर्ता का वेतन, 10 जनवरी, 1996 से 6,500-10,500 रुपये के वेतनमान में पुनः निर्धारित किया गया है, और परिणामस्वरूप, 10 जनवरी, 1996 से 30 अप्रैल, 2005 की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को किए गए अतिरिक्त भुगतान के कारण, उससे 2,56,513 रुपये देय हो गए हैं।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 8 सितंबर, 2005 के आदेश का जवाब 10 सितंबर, 2005 को दाखिल किया, जिसे उप निदेशक ने कारण बताओ नोटिस के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना पारित किया था और याचिककर्ता ने मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। उप निदेशक, गहन पशु विकास परियोजना, सफीदों रोड - प्रतिवादी संख्या 3, ने अपने आदेश दिनांक 6 अक्टूबर, 2005 द्वारा पुनर्विचार के अनुरोध को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस प्रकार के निम्नलिखित आदेशों को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की है, जो कि हैं आदेश 26 जुलाई, 1999 (अनुलग्नक पी-11), आदेश दिनांक 17 मई, 2005 (अनुलग्नक पी-20), आदेश दिनांक 8 सितंबर, 2005 (अनुलग्नक पी-17) और आदेश दिनांक 6 अक्टूबर, 2005 (अनुलग्नक पी-19)।

(8) उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए जाने पर, उत्तरदाताओं ने तथ्यात्मक पहलू को स्वीकार कर लिया है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता उस वेतनमान का हकदार नहीं है, जिसका याचिकाकर्ता दावा कर रहा है। उत्तरदाताओं का तर्क है कि याचिकाकर्ता को 23 अप्रैल, 1991 के आदेश के तहत डेयरी विकास विभाग, हरियाणा में प्रदर्शक के रूप में नियुक्त किया गया था

और उसका वेतनमान रु. 2,000—4,500 का था। जब वह इस रूप में काम कर रहे थे, तो उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया और एक रिक्त पद पर नारनौल में जिला डेयरी विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और उनका कार्यभार 8 जुलाई, 2003 तक रहा ।यह प्रस्तुत किया गया है कि डेयरी विकास अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती के समय प्रदर्शक और डेयरी विकास अधिकारी के पद का वेतनमान बराबर था, लेकिन प्रदर्शक की अगली पदोन्नति जिला डेयरी विकास अधिकारी के पद की था। चूंकि जिला डेयरी विकास अधिकारी का पद डेमोस्ट्रेटरी के पद से अधिक जिम्मेदारी वाला था, इसलिए याचिकाकर्ता को उच्च जिम्मेदारी निभाने के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी गई। याचिकाकर्ता को आज तक कभी भी जिला डेयरी विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया।डेयरी विकास अधिकारियों के पद के लिए वेतनमान, जो 10 जनवरी, 1996 से संशोधित किया गया था, वह था, रु. 2,200-4,000 (टी.एस.), पांच वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी होने पर चयन ग्रेड रु. 3000- 4500 का । चयन ग्रेड रु 4100-5300 जो कि कैडर पदों के 20% तक के लिए सीमित है, बशर्ते उन्होंने 12 साल या उससे अधिक की संतोषजनक नियमित सेवा की हो। उत्तरदाताओं का तर्क यह है कि तत्कालीन दुग्ध आयुक्त, डेयरी विकास विभाग, हरियाणा ने याचिकाकर्ता को जिला डेयरी विकास अधिकारी का वेतनमान यानी रु. 2,200- 4,000,- दिनांक 5 अगस्त 1997 के आदेश के अनुसार (अनुलग्नक पी-8), गलत दिया गया था।यह सरकार द्वारा जारी निर्देश और आदेश का उल्लंघन था, - उसके आदेश दिनांक 10 जून, 1996 (अनुलग्नक आर-I) और पत्र दिनांक 16 जनवरी, 1997 (अनुलग्नक आर-II) के अनुसार, जबकि याचिकाकर्ता (10 जनवरी, 1996 से 6,500-10,500 रुपये के रूप में संशोधित) आदेश दिनांक 5 अगस्त, 1997 (अनुलग्नक पी-8) जो कि सरकार द्वारा वापस ले लिया गया, - आदेश दिनांक 4 मार्च, 2002 (अनुलग्नक आर) के माध्यम से -III), वेतनमान रु. 2,000-3,500 का हकदार था। याचिकाकर्ता को इस आदेश के तहत, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अधिक राशि या अधिक निकासी की वसूली करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता, जो स्वयं आहरण एवं संवितरण अधिकारी था, ने इसका अनुपालन नहीं किया इस उक्त आदेश का और आदेश दिनांक 5 अगस्त 1997 (अनुलग्नक पी-8) के अनुसार वेतन आहरित करना जारी रखा।हरियाणा डेयरी विकास विभाग के पशुपालन विभाग, हरियाणा के साथ विलय पर, अधिसूचना दिनांक 14 मई, 2003 (अनुलग्नक पी-13) के माध्यम से, याचिकाकर्ता की सेवाओं को प्रिंसिपल, हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में, प्रदर्शक के पद सहित, उनके में निपटान में रखा गया था। दुग्ध आयुक्त द्वारा दी गई गलत रियायत का यह तथ्य जब उपनिदेशक, गहन पशु विकास परियोजना, सफीदों रोड, जीन्द-प्रतिवादी संख्या 3 को पता चला, तो कारण बताओ नोटिस दिनांक 17 अगस्त, 2005 (अनुलग्नक

पी-16) जारी किया गया उस अधिक धनराशि जो कि 2,56,513 रुपये की वसूली के संबंध में था । इसके तहत इस पैमाने पर उनका वेतन तय किया गया और याचिकाकर्ता को डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में 6.500-10,500 रुपये ka वेतनमान दिया गया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आदेश दिनांक 8 सितंबर, 2005 (अनुलग्नक पी-17) पारित किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता से निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। याचिकाकर्ता का उत्तर दिनांक 10 सितंबर, 2005 (अनुलग्नक पी-18) को प्राप्त हुआ और उसके बाद, दिनांक 6 अक्टूबर, 2005 (अनुलग्नक पी-19) के आदेश के तहत, याचिकाकर्ता का वेतन, नियमों के तहत डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में 6500— 10500 रुपये के वेतनमान में तय किया गया था और याचिकाकर्ता को अधिक वेतन दिए जाने के आधार पर 2,57,935 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

(9) हमने दोनो पक्षों के वकील सुने हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता इस निर्णय का लाभ पाने का हकदार है, जो कि इस न्यायालय द्वारा 1987 के सीडब्ल्यूपी संख्या 933 में पारित हुआ और जिसका शीर्षक इस प्रकार है, एस.पी. सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, जिसका निर्णय हुआ 12 जुलाई, 1999 को। याचिकाकर्ता को उसी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है जो याचिकाकर्ताओं को दिया गया है, जिन्होंने उक्त रिट याचिका दायर की थी क्योंकि याचिकाकर्ता उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं के समान ही स्थित है और उनके पास समान योग्यताएं हैं, बल्कि रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं की तुलना में बेहतर योग्यता हैं।। याचिकाकर्ता के पास बी.वी.एससी और ए.एच. और एम.वी.एससी. की योग्यता है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता संतुष्ट होगा यदि याचिकाकर्ता को वही लाभ दिया जाए जो 1987 की सीडब्ल्यूपी संख्या 933 जिसका शीर्षक एस.पी. सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य हैं , में याचिकाकर्ताओं को दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिका के पैरा 18 और 19 और उसमें दिए गए दावों को उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उक्त दलीलों के आलोक में, याचिकाकर्ता की इस प्रार्थना को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। उत्तरदाताओं के वकील इसका विरोध करते हैं ।

(10) दोनों वकीलों के दावों का परीक्षण करने के लिए, रिट याचिका के पैरा 18 और 19 के साथ-साथ उनके उत्तर को भी यहां नीचे संदर्भ दिया गया है:

> "18. यह रिकॉर्ड की बात है कि डेयरी विकास विभाग के कुछ समान रूप से तैनात जिला डेयरी विकास अधिकारियों ने 2200-4000 रुपये के संशोधित पैमाने को केवल उन जिला डेयरी विकास अधिकारियों को जिनके पास बी.वी.एससी और ए.एच.

डिग्री की डिग्री है, उनके के लिए सीमित करने में सरकार की इस कार्रवाई को चुनौती दी थी। और एस.पी. सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य क शीर्षक से 1987 की संशोधित सीडब्ल्यूपी संख्या 933 दाखिल करके उन अधिकारियों को बाहर कर दिया गया, जिनके पास डेयरी विज्ञान या पशु विज्ञान में डिग्री थी। उपरोक्त रिट याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 1999 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। माननीय न्यायालय ने 2200-4000 रुपये के वेतनमान को केवल ऐसे जिला डेयरी विकास अधिकारियों को, जिनके पास पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री है, उन तक सीमित करने में सरकार की कार्रवाई को मनमाना मानते हुए प्रसन्नता व्यक्त की और वे इस शर्त को रद्द करने में प्रसन्न हैं। प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

" परिणामस्वरूप, सरकार ने संशोधित वेतनमान देने में याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया है , अनुबंध पी-7 में इसे ऐसे जिला डेयरी विकास अधिकारियों तक ही सीमित रखा गया है, जिनके पास केवल पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री है और इस सीमा तक, आक्षेपित आदेश, अनुबंध पी7 की प्रति को भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना जाता है और उक्त शर्त रद्द किये जाने योग्य है। यह अभिनिर्धारित किया जाता हैं, कि जिला डेयरी विकास अधिकारियों के लिए संशोधित वेतनमान लागू करने की शर्त, जिनके पास केवल पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री है, भेदभावपूर्ण और मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है और तदनुसार रद्द किया जाता है।

रिट याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है।"

फैसले की प्रति अनुलग्नक पी-9 में संलग्न है।

19. 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 933 में पारित माननीय न्यायालय के फैसले के अनुसरण में, जिसका शीर्षक एस.पी. सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य था, सुभाष चंदर शर्मा जो याचिकाकर्ता के समान ही स्थित हैं और जो की ज़िला डेयरी

विकास अधिकारी के रूप में 6 जुलाई 1992 से तैनात थे, अनको 10 जनवरी 1996 से 2200-4000 रु. का वेतनमान प्रदान किया गया। और 3000-4500 रुपये का स्केल, 6 जुलाई 1997 से प्रभावी किया, उनकी पांच साल की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी होने के बाद। इसी प्रकार, श्री सुखबीर सिंह मेहला, जो याचिकाकर्ता की तरह जिला डेयरी विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, उनको 10 जनवरी, 1996 से 2200-4000 रुपये का संशोधित वेतनमान दिया गया था। और पांच वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद उन्हें 3000-4500 रुपये का वेतनमान आज तक मिल रहा है। आदेश की प्रति अनुलग्नक पी-10 के रूप में संलग्न है।"

11) पैरा 18 और 19 पर उत्तरदाताओं का संबंधित उत्तर इस प्रकार है:

" 18. सिविल रिट याचिका के पैरा नंबर 18 की सामग्री को इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि 1987 की एक सिविल रिट याचिका संख्या 933, एस.पी. सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य को इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संशोधित वेतनमान को सिर्फ़ जिला डेयरी विकास अधिकारी जिनके पास केवल पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की डिग्री थी, केवल उनपर लागू करने की शर्त भेदभावपूर्ण और मनमाना थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था।

आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि 1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 933 में याचिकाकर्ता श्री एस.सी. शर्मा और एस.एस. मेहला, दोनों प्रदर्शनकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया और जिला डेयरी विकास अधिकारी - सरकार के आदेश, दिनांक 24 जून, 1992 के तहत, उस पद पर तैनात किया गया, लेकिन उनको जिला डेयरी विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया हैं। पशुपालन विभाग के साथ डेयरी विकास विभाग के विलय के परिणामस्वरूप, अधिसूचना, दिनांक 14 मई, 2003 के तहत, श्री एस.सी. शर्मा और एस.एस. मेहला को आदेश संख्या 5578- एएच-3-2003/9995, दिनांक 24 जुलाई, 2003 (अनुलग्नक पी-15) के तहत, हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, हिसार में प्रदर्शक के रूप में तैनात किया गया था और

इसलिए, आज तक कभी भी पदोन्नत नहीं किया गया। हालाँकि, श्री एस.सी. शर्मा और एस.एस. मेहला (दोनों प्रदर्शनकारी) को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला डेयरी विकास अधिकारी के पद के लिए वेतनमान और लाभ मिल रहे हैं।

19. सिविल रिट याचिका के पैरा नंबर 19 के जवाब में इसे रिकॉर्ड का मामला माना गया है।'"

(12) उपरोक्त के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि याचिकाकर्ता भी श्री सुखबीर सिंह मेहला और श्री सुभाष चंदर शर्मा के समान ही स्थित है, जो 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 933 में याचिकाकर्ता थे, जिसे इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 12 जुलाई, 1999 के तहत स्वीकार किया था। याचिकाकर्ता को 2200-4000 रुपये का वेतनमान न देने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया एकमात्र तर्क, यह है कि याचिकाकर्ता को जिला डेयरी विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था, हालांकि, उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि श्री सुखबीर सिंह मेहला और श्री सुभाष चंद्र शर्मा, जिन्हें भी जिला डेयरी विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है, फ़ी भी कोर्ट के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को जिला डेयरी विकास अधिकारी के पद का लाभ मिल रहा है। यह अजीब लग सकता है कि जबकि उत्तरदाता स्वीकार कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता, 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 933 में याचिकाकर्ताओं के समान ही स्थित है, फिर भी उत्तरदाता याचिकाकर्ताओं को उसी लाभ के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो याचिकाकर्ताओं को दिया गया है, इस 1987 का सीडब्ल्यूपी नंबर 933 में। इस न्यायालय ने **सतबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[1], में प्रेक्षित किया कि सरकारी कर्मचारी, जिन्हें रिट याचिका में याचिकाकर्ता के समान रूप में रखा गया हैं , और जहां न्यायालय का निर्णय को अंतिमता प्राप्त हुई हैं, वहाँ उन्हें उसी समान राहत के लिए अलग से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को फैसले को स्वीकार करने के बाद समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को भी इसी तरह की राहत देनी चाहिए। यदि ऐसे कर्मचारियों को उस मुद्दे पर कानून की तयशुदा शर्त के आधार पर राहत दी जाती है तो अदालतों का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।

(13) वर्तमान मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता को पहले से ही 2200-4000 रुपये का वेतनमान मिल रहा था, उनकी योग्यता के अनुसार, तो 1987 के सीडब्ल्यूपी संख्या 933 के याचिकाकर्ताओं को दी गई समान राहत के लिए इस

---

[1]2002 (2) एससीटी 354

न्यायालय से संपर्क करने के लिए कार्रवाई का कोई वाद-हेतुक या अवसर नहीं था। याचिकाकर्ता ने अब इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए है जब यह पैमाना, उत्तरदाताओं द्वारा वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ता को उसी तरह रखा गया है जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा पैरा 18 और 19 (ऊपर प्रस्तुत) के उत्तर में स्वीकार किया गया है, इसलिए, याचिकाकर्ता उसी लाभ का हकदार है जो श्री सुखबीर सिंह मेहला और श्री सुभाष चंदर शर्मा को दिया गया है। इसके आलोक में, निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी हरियाणा-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश, दिनांक 17 मई, 2005 (अनुलग्नक पी-20) और आदेश, दिनांक 8 सितंबर, 2005 (अनुलग्नक पी-17) और उपनिदेशक, गहन पशु विकास परियोजना, सफीदों रोड, जींद-प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा पारित आदेश, दिनांक 6 अक्टूबर, 2005 (अनुलग्नक पी-19) कायम नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए। आदेश दिनांक 26 जुलाई 1999 (अनुलग्नक पी-19) के संबंध में यह हैं कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त आदेश याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6451 में चुनौती के अधीन है, जो की स्वीकार किया गया और इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसलिए, इस रिट याचिका में उक्त आदेश के तहत कोई राहत नहीं दी जा सकती।

(14) उपरोक्त के आलोक में, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है। निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी, हरियाणा-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 मई, 2005 (अनुलग्नक पी-20) और आदेश दिनांक 8 सितंबर, 2005 (अनुलग्नक पी-17) और उपनिदेशक, गहन पशु विकास परियोजना, सफीदों रोड, जीन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 6 अक्टूबर, 2005 (अनुलग्नक पी-19) को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है। उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को वही लाभ देने का निर्देश जारी किया जाता है जो 1987 के सीडब्ल्यूपी संख्या 933 में एस.पी. सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के याचिकाकर्ताओं श्री सुखबीर सिंह मेहला और श्री सुभाष चंदर शर्मा को दिए गए हैं। .

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़